वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, दंतेवाड़ा द्वारा दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वन मंडल में कक्ष क्रमांक पी 1373 के रकबा 0.262 हे. वन भूमि जीवन बीमा निगम कार्यालय निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर के अभिमत से सहमत होते हुए प्रस्तावित वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 11/06/2024
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

11/6/24

(व्ही श्रीनिवास राव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर, रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–759/1438 रायपुर, दिनांक 18/06/2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, रायपुर

विषयः – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 Proposed for "LIC Building Dantewada" area 0.262 ha. Compartment No. P1373.**
पंजीयन क्रमांक – FP/CG/Other/ 36479/ 2018

संदर्भः – मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ व.त.अ./ 2731 दिनांक 27.05.2024

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर द्वारा अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल कार्यालय वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01) –आवेदनकर्ता, शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, दंतेवाड़ा द्वारा दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वन मंडल में कक्ष क्रमांक पी 1373 के रकबा 0.262 हे. वन भूमि जीवन बीमा निगम कार्यालय निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 02) – वन मंडलाधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – FP/CG/Other/ 36479/ 2018 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि प्रस्ताव पृष्ठ 02 के आधार पर की जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा कराये गये है जिसे दंतेवाड़ा वन मंडल के पी. डी. खाता 8443 –106 व्यक्तिगत जमा में चालान के माध्यम से जमा कराया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 03 से 04) – प्रस्तावित परियोजना हेतु संरक्षित वन भूमि रकबा 0.262 हे. प्रस्तावित है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 05 से 06) – प्रस्तावित परियोजना में गैर वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 07 से 08) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 09 से 10) – वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है। इंडेक्स मैप के उपरांत एफ.एम.आई.एस द्वारा जारी किया गया वन आवरण मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 11 से 24) – प्रपत्र – 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 2.70 लाख रू. है। यूजर एजेंसी ने प्रस्ताव को स्वीकृति योग्य माना है तथा उल्लेख किया है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 अतर्गत शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, दंतेवाड़ा द्वारा दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वन मंडल में कक्ष क्रमांक पी 1373 के 0.262 हे. वन भूमि जीवन बीमा निगम कार्यालय निर्माण हेतु वन भूमि की मांग न्यूनतम है। वन का घनत्व 0.4 तक है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 25) – आवेदनकर्ता, शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, दंतेवाड़ा द्वारा दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वन मंडल में कक्ष क्रमांक पी 1373 के रकबा 0.262 **हे.** प्रभावित हो रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम का नवनिर्तित भवन निगम से जुड़े सभी वर्गो जैसे अभिकर्ता, अधिकारी कर्मचारी सभी को क्षेत्र के बीमा धारकों को बेहतर बीमा सेवा प्रदान करने में सहायक होगा जिससे बीमा धारक एवं सेवाकर्ता सभी संबंधितों को गर्व एवं संतोष प्राप्त होगा। विस्तृत विवरण प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक–25 में संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 26) – शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, दंतेवाड़ा के द्वारा वचन पत्र दिया गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन निर्माण हेतु दंतेवाड़ा वन मंडल के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि के बदले दुगुने वन क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु भारत सरकार द्वारा जो भी शर्त लागू की जावेगी। (वह दर जो अंतिम रूप से भूमि प्रत्यावर्तन के समय लागू होगी) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 27) – शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, दंतेवाड़ा के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन निर्माण के लिए वन भूमि की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में अन्य विकल्पों का पता लगाया गया किन्तु कोई भी विकल्प उचित नहीं पाया गया। अतएव प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं होने से प्रस्तावित वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है, तदाशय का वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 28) – वन भूमि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित कार्य हेतु पर्यावरण संरक्षण क्लीयरेंस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 29) – प्रस्तावित कार्य हेतु आवेदित वन भूमि वृक्ष विहीन है। अतः वृक्ष विदोहन की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 30) – प्रकरण 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनिफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) (प्रस्ताव पृष्ठ 31) – प्रकरण में राजस्व भूमि / निजी भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 32) – गैर वन क्षेत्र प्रभावित नहीं होने से आसपास का नक्शा की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 33 से 34) – वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 1.00 हे. से कम होने के कारण भारत सरकार / राज्य सरकार के निर्देशानुसार 100 वृक्ष लगाने के प्रावधान अनुसार जो व्यय आवेगा वह राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 35) – चूंकि प्रकरण में भारत सरकार / राज्य सरकार के निर्देशानुसार 100 वृक्ष लगाया जाना होगा। एवं वन मंडलाधिकारी दंतेवाड़ा का वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 36) – वन मंडलाधिकारी दंतेवाड़ा के प्रतिवेदन अनुसार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 37) – प्रस्ताव के पृष्ठ 36 के अनुक्रम में जानकारी निरंक है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 38) – – प्रस्ताव के पृष्ठ 36 के अनुक्रम में जानकारी निरंक है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 39) – परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं किया किया गया है। अतएव गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 40) – भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 41) – भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 42) – भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 43) – भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 44 से 52) – प्रपत्र–3 पर वन मंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन है जिसके अनुसार साईट क्वालिटी III तथा वनो का घनत्व 0.4 बताया गया। वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा वन मंडल द्वारा दिनांक दिनांक 17.09.2020 से स्थल निरीक्षण कर वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त द्वारा दिनांक 02.06.2022 से वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 53) – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व स्थल नहीं है जिससे संबंधित वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 54 से 56) – प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दंतेवाड़ा का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 57) – जिले की कुल वन भूमि रकबा 1242.505 वर्ग कि.मी. का विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 58) – 19 स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि का का रकबा 3217.624 हे. वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन किया गया है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 59) – दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वन मंडल के अंतर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत इस श्रेणी के एक भी प्रकरण व्यपवर्तित नहीं किया गया है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 60) – आवेदित वन भूमि के 10 कि.मी. की परिधि में माँ दंतेश्वरी मंदिर स्थित है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 61) – खनन प्रकरण नहीं होने से आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 62 से 63) – कलेक्टर दंतेवाड़ा के पत्र दिनांक 20.08.2018 से वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरण संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 64) – प्रकरण में कार्यालय भवन निर्माण हेतु राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं होने से राजस्व वन भूमि संबंधित कलेक्टर, दंतेवाड़ा के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 65 से 65ए) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance **(प्रस्ताव पृष्ठ 66)** – आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 67 से 68) – वन परिक्षेत्र दंतेवाड़ा अंतर्गत कक्ष क्रमांक 1373 रकबा 0.262 हे. क्षेत्रफल पर भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय निर्माण हेतु ग्राम दंतेवाड़ा वन भूमि 0.262 हे. भूमि मृदा वर्गीकरण के 5वीं सूची में आता है, जिसमें फसल उत्पादन की संभावना कम है तथा मृदा क्षरण की संभावना कम है। अतः उक्त भूमि आवेदित परियोजना को दिया जा सकता है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 69 से 69ए) – वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किये जाने के संबंध में वचन पत्र यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी दंतेवाड़ा के द्वारा दिया गया है ।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 70) – प्रमाण पत्र लगाया गया है। आवेदित वन क्षेत्र 500 हे. से कम है, अतः वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 71) – संलग्न है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 72) – वन मंडलाधिकारी, दंतेवड़ा द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुशंसा की गई है तथा 10 कि.मी की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, हाथी कोरीडोर भी स्थित नहीं है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 73) – प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 74 से 77) – अतिरिक्त जानकारी स्वरूप अन्य अभिलेख संलग्न है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा उपरांत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर से प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट 2 प्रतियों में
3. टाईम लाईन
4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग–4

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–759/ 1439 रायपुर, दिनांक 18/6/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, दंतेवाड़ा वन मंडल, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।
3. **महाप्रबंधक**, भारतीय जीवन बीमा निगम, ब्रांच ऑफिस, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़